भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 693

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एचएमपीवी के मामले

†693. **श्री सेल्वाराज वी.**

श्री सुब्बारायण के.

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में मानव मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के कुछ मामले पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा रोग की तीव्रता का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसके प्रसार को रोकने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) वर्ष 2001 से वैश्विक स्तर पर मौजूद है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के डेटा से देश में कहीं भी इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई)/गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं दिखती है, जिसकी पुष्टि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रहरी निगरानी डेटा से भी हुई है। दिनांक 6 जनवरी, 2025 से दिनांक 29 जनवरी 2025 तक भारत के 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 59 मामले सामने आए हैं।

(घ) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एचएमपीवी मामलों की निगरानी और प्रसार को नियंत्रित करने तथा एचएमपीवी लक्षणों और रोकथाम कार्यनीतियों के बारे में अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने के लिए कई विशिष्ट उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुलग्नक में संलग्न हैं।

*****

अनुलग्नक

"एचएमपीवी के मामले" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 693 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

- एचएमपीवी स्थिति की नियमित निगरानी के लिए दिनांक 6 जनवरी, 2025 से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (पीएचईओसी) सक्रिय किया गया है। दैनिक स्थिति रिपोर्ट (सिटरेप) संबंधित हितधारकों के साथ साझा की जाती है।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सतर्क रहने और अस्पताल में भर्ती एसएआरआई मामलों के श्वसन नमूनों को सकारात्मक नमूनों की जांच और अनुक्रमण के लिए नामित वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) में भेजने की सलाह दी गई है।

- भारत में इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और इन्फ्लूएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली पहले से ही आईसीएमआर और आईडीएसपी नेटवर्क दोनों के माध्यम से मौजूद है।

- राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम के बारे में लोगों के बीच सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और जागरूकता, जैसे कि साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना; बिना धुले हाथों से अपनी आँखें, नाक या मुँह को छूने से बचना; ऐसे लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना जिनमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हों; खाँसते और छींकते समय मुँह और नाक को ढकना आदि बढ़ाएँ।

- सरकार ने पूरे देश में तैयारी की ड्रिल की और यह सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य प्रणाली श्वसन संबंधी बीमारियों में मौसमी वृद्धि से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है।

- सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, संयुक्त निगरानी समूह के स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं और भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति और एचएमपीवी मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। हितधारकों में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डीजीएचएस, राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अधिकारी, एकीकृत रोग निगरानी मंच (आईडीएसपी), एनसीडीसी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) और आईडीएसपी की राज्य निगरानी इकाइयों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

- राज्यों को आईएलआई/एसएआरआई निगरानी को मजबूत करने और उसकी समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

*****